जितेन्द्र श्रीवास्तव, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
An ISO 9001:2008 Certified Agency
स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार,

विषयः मरीजों को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने हेतु आवंटन के 10 प्रतिशत राशि उपआवंटित करने के संबंध में।

महाशया / महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि BMSICL राज्य में दवाओं / उपकरणों के क्रय हेतु राज्य क्रय संगठन के रूप में नामित है, परन्तु BMSICL द्वारा विगत कई महिनों से दवा का दर अनुबंध नही होने के कारण दवा का खरीद नही की जा सकी है एवं भंडार में संचित अधिकांश दवाओं को जिले में वितरित कर दिया गया है। इस परिस्थिति में राज्य में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में जनहित में दवा आपूर्ति की निरंतरता बनाये रखने के दृष्टिकोण से निम्न निर्देश दिये जाते हैः–

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निःशुल्क दवा सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध करायी गयी राशि को सरकार के संकल्प संख्या 718(12) दिनांक 17.09.2013 के आलोक में इमरजेंसी के मरीजों को आवश्यक दवा सूची में निहित दवा को निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु अपने कुल आवंटन का 10 प्रतिशत राशि तक, आवश्यकतानुसार प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं उपाधीक्षक, सदर अस्पताल / अनुमंडलीय अस्पताल / रेफरल अस्पताल स्तर को उपआवंटित कर सकते है।
2. उक्त आलोक में इमरजेंसी के मरीजों को EDL के अंतर्गत आनेवाली दवाओं को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं उपाधीक्षक, सदर अस्पताल / अनुमंडलीय अस्पताल / रेफरल अस्पताल "बिहार वित्तीय नियमावली, 2005" एवं समय–समय पर विभागीय / राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के द्वारा दवा खरीद के बिंदु पर निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुये उक्त उपलब्ध कराये गये राशि से दवा क्रय कर सकेंगे।

3. यह व्यवस्था अंतरिम होगी तथा BMSICL से दवा आपूर्ति प्रारंभ होने के साथ ही स्वतः समाप्त हो जायेगी।
4. इस पर प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/–

(जितेन्द्र श्रीवास्तव)

ज्ञापांकः SHSB/PM/473/14/ 6922 दिनांकः 19/09/2015

प्रतिलिपिः–

1. सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सभी क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

19/9

कार्यपालक निदेशक

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना- 800 014, दूरभाषः 0612-2290340, 2281545, फैक्सः 2290322, वेबसाइटः www.statehealthsocietybihar.org